दावा प्रकरण क्रमांक 121/2022
श्रीमती बिरझा वगैरह विरूद्ध हरिश वगै0

गवाह नंबर 01 की अनावेदक क्रमांक 03 से शहादत आज तारीख 06.11.2024 ई. को ली गई। गवाह करीब 53 साल की उम्र का मालूम होता है।

हलफ से जवाब करता है। मेरा नाम राधिका वर्मा पति जीतराम वर्मा व्यवसाय–प्रशासनिक अधिकारी पता– युनाइटेड इंडिया लिमिटेड धमतरी जिला धमतरी छ.ग.

–मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आर.के.जैस अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 03–

01. मै युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शाखा धमतरी में दिनांक 09.11.2023 से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर कार्य कर रही हूं । हमारी कंपनी द्वारा वाहन मोटरसायकल क्रमांक सीजी05 ए.जी. 0562 का बीमा पैकेज पॉलिसी के तहत पॉलिसी क्रमांक 2701033122P101447860 के माध्यम से दिनांक 18.05.2022 से 17.05.2023 तक के लिये वाहन स्वामी हरिश साहू के नाम पर जारी किया गया है तथा उक्त बीमा पॉलिसी बीमा नियमों के तहत जारी किया गया है । उक्त बीमा पॉलिसी के तहत बीमित वाहन क्षति के लिये जोखिम आवरित करते हुये जारी किया गया है जो **प्रदर्श डी.03** है जो तीन पन्ने में है जिसके अ से अ भाग पर सुस्मित बाला का हस्ताक्षर है जिसे मै साथ में कार्य करने के कारण पहचानती हूं ।

02. **प्रदर्श डी.03** के बीमा पॉलिसी में तृतीय पक्ष के जोखिम अवरित हेतु प्रीमियम राशि हमारी बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है तथा उक्त बीमित वाहन मोटरसायकल का तृतीय पक्ष जोखिम अवरित हेतु आई.सी.लोमार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी अनावेदक क्रमांक 02 के पास था जिसका उल्लेख हमारी बीमा पॉलिसी के ब से ब भाग पर उल्लेख है । ऐसी स्थिति में दुर्घटनाकारित वाहन का तृतीय पक्ष क्षति के दायता हेतु हमारी कंपनी के पास बीमा

नहीं होने के कारण हमारी कंपनी किसी प्रकार की दायता नहीं होने से प्रकरण के दायित्व से मुक्त किया जाये । यदि हमारी कंपनी द्वारा जारी बीमा पॉलिसी वाहन मोटरसायकल क्रमांक सीजी05 ए.जी. 0562 का यदि बीमा पॉलिसी अवधि में क्षतिग्रस्त होता हो तो बीमा नियमों के तहत क्षति हमारी कंपनी द्वारा भुगतान करती लेकिन उक्त प्रकरण में वाहन क्षति नहीं हुयी तथा तृतीय पक्ष की मृत्यु हुयी है । इस कारण हमारी कंपनी के पास तृतीय पक्ष के दायता हेतु बीमा नहीं होने के कारण हमारी बीमा कंपनी की कोई भी देनदारी नहीं है ।

–प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए.के.राव अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण–

03. यह कहना सही है कि बीमित वाहन मोटरसायकल का तृतीय पक्ष क्षति के देनदारी हेतु अनावेदक क्रमांक 02 आई.सी.सी. लोमार्ड के पास बीमाकृत था ।

–प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री देवेश प्रजापति अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01–

04. यह कहना गलत है कि **प्रदर्श डी.03** में विशिष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि उक्त बीमा पॉलिसी केवल वाहन क्षति के संबंध में है । यह कहना गलत है कि **प्रदर्श डी.03** में तृतीय पक्ष की क्षति के दायित्व के लिये भी प्रीमियम की राशि का भुगतान हुआ है ।

–प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन.के. देवांगन अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 02–

05. यह कहना गलत है कि पैकेज पॉलिसी दुर्घटना के संबंधित समस्त दायित्व के लिये जारी होता है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना से संबंधित तृतीय पक्ष को भी क्षति का दायित्व हमारी कंपनी की बनती है । यह कहना गलत है कि मै अपनी बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने से बचाने के लिये झूठा कथन कर रही हूं ।

06. यह कहना गलत है कि प्रकरण में पेश बीमा पॉलिसी कम्प्यूटर से फर्जी तैयार

कर प्रस्तुत की गयी है ।

–प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतोष यदू अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 04, 05, 06–

07. कुछ नहीं ।

वाचित/स्वीकृत
सही/–
(उषा गेंदले)
अपर मो.दु.दा.अधिकरण (एफ.टी.सी)
धमतरी, छ०ग०

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
(उषा गेंदले)
अपर मो.दु.दा.अधिकरण(एफ.टी.सी)
धमतरी, छ०ग०

गवाह के हस्ताक्षर .....